

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
बुधवार, 08 अक्टूबर, 2003 / आश्विन 16, 1925 (शक)

संख्या: 273

सदस्यों की नजर बन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: -

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों सर्वश्री तरविन्दर सिंह मारवाह, वीर सिंह एवं चरण सिंह कण्डेरा को उनके अन्य समर्थकों के साथ दिनांक 08/10/2003 को अपराह्न 1.20 बजे, पुलिस की विधि-सम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत नजर बन्द किया गया।

उन्हें उनके समर्थकों सहित उसी दिन अर्थात् दिनांक 08/10/2003 को अपराह्न 1.25 बजे रिहा कर दिया गया।"

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Wednesday, 08th October, 2003/ Aashvina 16, 1925(Saka)

No.: 273

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Dy. Commissioner of Police, New Delhi Distt., New Delhi: -

"I have the honour to inform you that S/Shri Tarvinder Singh Marwah, Veer Singh & Charan Singh Kandera, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi alongwith their supporters were detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of police at 1.20 PM on 08/10/2003.

They alongwith their supporters were released at 1.25 P.M. on the same day i.e. 08/10/2003."

SIDDHARTH RAO
SECRETARY